(37)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर (बस्तर) म0प्र0

क्रमांक/187/स्था0/98,   कांकेर, दिनांक 12/7/98

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय,

चारामा (म0प्र0)

विषय :- (1) आदेश क्र0/एफ-1/126/94/स्था1/38 भोपाल दि. 16/6/94

(2) आपका पत्र क्र0/376/स्था./94 चारामा, दि0 6.7.94

-=::=-

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशानुसार श्री भारतेन्दु समुन्द सहायक प्राध्यापक (इतिहास) ने आज दिनांक 7.7.94 (पूर्वान्ह) में शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर के रिक्त सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया ।

सूचनार्थ प्रेषित ।

हस्ता/0
(श्रीमती पी. बाजपेई)
प्र0प्राचार्य
शास. कन्या महाविद्यालय,
कांकेर (म0प्र0)

पृ0क्र0/188/स्था./94 ,   कांकेर, दिनांक 12/7/94

प्रतिलिपि :--

(1) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उ. शि. वि. वल्लभ भवन, भोपाल, म0प्र0।

(2) आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 सतपुड़ा भवन, भोपाल, (म0प्र0) ।

(3) अतिरिक्त संचालक (एम. (उ. शि. संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

(4) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, रायपुर ।

(5) प्राचार्य, शास. महाविद्यालय , कांकेर को सूचनार्थ ।

(6) श्री भारतेन्दु समुन्द, सहायक प्राध्या0 (इतिहास) को सूचनार्थ ।

(7) कार्यालयीन प्रति ।

हस्ता/0
(श्रीमती पी. बाजपेई)
प्र0प्राचार्य
शास. कन्या महाविद्यालय, कांकेर
(बस्तर) म0प्र0

TRUE COPY - Attested

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

PRINCIPAL 7-8-98
Govt. Girls' College Kanker

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

(1)

// आदेश //

भोपाल, दिनांक [illegible]

क्रमांक एफ-1/220/86/ए-1/38, म0प्र0 तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.ए-[illegible]-86 एम(1) द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5-6-86 में पदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक प्राध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नियम 9(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक विषय इतिहास के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रूपये 700-40-1100-50-1300-अवरोध-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परीवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

1. कु0 बेला सिंधारे(एसटी), 19-12-62, शासकीय महाविद्यालय, बैरसिया(भोपाल)
डी0आई0डब्ल्यू0 आफिस, ई-30 साकेत नगर, इन्दौर(म0प्र0)
हा0से0: – स्नातक: 620/1200 स्नातको0: 521/800 अध्या0: –

2. श्री भारतेन्दु समुन्द(एसटी) 26-1-60 शासकीय महाविद्यालय, अमरवाड़ा
ग्राम व पोस्ट- नगरी, तह0 धमतरी जिला-रायपुर
हा0से0: – स्नातक: 604/1100 स्नातको0: 509/800 अध्या0: –

3. श्री [illegible](एसटी) 15-4-54 शासकीय महाविद्यालय, चन्देरी(गुना)
ग्राम-[illegible] पो0 [illegible] तह0 [illegible] पश्चिम निमाड़
– [illegible]/1200 [illegible]/800 –

4. श्री इन्दुल राम देहारी(एसटी) 28-7-60 शासकीय स्नातको0महाविद्यालय, नरसिंहपुर
द्वारा श्री छबिलाल मुआर्य प्रधान पाठक, ग्राम-पो0 डौंडी व्हाया दल्लीराजहरा जिला दुर्ग(म0प्र0) 491228
– 630/1100 485/800

5. श्री [illegible](एसटी) 10-11-59 शासकीय स्नातको0महाविद्यालय, पन्ना
[illegible] कालोनी, [illegible] रामपुर म0प्र0 87.
– [illegible]/1100 478/800

6. कु0 हेमवती ध्रुव(एसटी) 8-4-63 शासकीय गृहविज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
द्वारा श्री हरि सिंह ध्रुव, [illegible] पो0 डोंगरडुला [illegible] जि0 रायपुर(म0प्र0)
– 580/1100 434/800

7. [illegible] (एसटी) 17-12-61 शासकीय महाविद्यालय, उदयपुरा(रायसेन)
[illegible] अम्बिकापुर
– 545/1100 482/800

निरन्तर... 2..

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, कांकेर (बस्तर)

क्रमांक ------/स्था/89 कांकेर दिनांक.....

प्रति,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
वल्लभ भवन
भोपाल

विषय: सहायक प्राध्यापक-हिन्दी के पद पर पद कार्यभार ग्रहण करने बावत् ।

संदर्भ: आपका आदेश क्रमांक 3679/3259/38-1/89 भोपाल दिनांक 08.11.89.

—00—

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 3679/3259/38-1/89, भोपाल दिनांक 08.11.89 के द्वारा श्री रामाधार प्रसाद टेकाम ने स्थान शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर में सहायक प्राध्यापक-हिन्दी के पद पर आज दिनांक 27.11.89 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

संलग्न- प्रत्याशी का विवरण पत्रक

(डॉ० एस० के० शुक्ला)
प्रभारी प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, कांकेर

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, KANKER,
(Distt. Bastar) M.P. 494334.

पृ० क्रमांक 3301/स्था/89 कांकेर दिनांक 27/11/89

प्रतिलिपि:-

(1) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, चतुर्थ मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
(2) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छात्रावास मार्ग, रायपुर
(3) कोषालयाधिकारी, उपकोषालय, कांकेर ।
(4) संबंधित अधिकारी ।
(5) स्थापना/लेखा शाखा, कार्यालयीन ।
(6) व्यक्तिगत नस्ती ।
(7) कार्यालय प्रति ।

S K Shukla 27/11/89
(डॉ० एस० के० शुक्ला)
प्रभारी प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, कांकेर

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, KANKER,
(Distt. Bastar) M.P. 494334.

PRINCIPAL
Go... Giri's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

00

May 15, 2021, 13:28

कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर (बस्तर)

क्रमांक ——/स्था/89 कांकेर दिनांक......

प्रति,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषय: सहायक प्राध्यापक – प्राणि के पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ: आपका आदेश क्रमांक 3878/3259/38-1/89, भोपाल दिनांक 08.11.89

--

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 3879/3259/38-1/89, भोपाल दिनांक 8.11.89 के पालन में [illegible] ने नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर में सहायक प्राध्यापक-प्राणि के पद पर आज दिनांक 23.11.89 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संलग्न:- प्रभारग्रहण का विवरण –प्रपत्र

(डॉ. [illegible] द्विवेदी)
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
कांकेर

पृ. क्रमांक 3372/स्था/89 कांकेर दिनांक 24/11/89

प्रतिलिपि:-

(1) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, चौथी मंजिल, [illegible] भवन, भोपाल।
(2) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, [illegible] मार्ग, रायपुर।
(3) कोषालयाधिकारी, उपकोषालय, कांकेर।
(4) संबंधित अधिकारी।
(5) स्थापना/लेखा शाखा कार्यालयीन
(6) व्यक्तिगत नस्ती।
(7) कार्यालय प्रति।

(डॉ. [illegible] द्विवेदी)
प्राचार्य
GOVT. COLLEGE, KANKER
शासकीय महाविद्यालय,
कांकेर।

//सत्य//

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

ay 15, 2021, 13:28

(2)

मध्य प्रदेश शासन.
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:- आदेश -:

भोपाल, दि० 24-12-98

क्रमांक/243/96/38-1, मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आगामी [illegible] निम्नांकित सहायक प्राध्यापकों को आदेश जारी होने के दिनांक से निश्चित कर दो वर्ष की पूरी सेवा अवधि पर उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	नाम, पद एवं महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थ है	वर्ग	महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है.
1.	2.	3.	4.
भौतिकशास्त्र			
1.	श्री हरि राम, सहा. प्रा. शा. महाविद्या., भाटापारा (रायपुर)	अजजा	शा. महा वि. भानुप्रतापपुर (बस्तर)
2.	श्री बलराम सोनी, स. प्रा. शा. महा. रामपुरा (मंदसौर)	पि. व.	शा. महा वि. मनावर (धार)
3.	श्री दिलीप कुमार सोनी, स. प्रा. माधव (बैकुंठ) महा. उज्जैन, [illegible]	पि. व.	शा. महा. मण्डलेश्वर (खरगोन)
रसायनशास्त्र [illegible]			
1.	डा. [illegible] कुमार उदयपुरे, स. प्रा. शा. [illegible], वा. वि. महा. बिलासपुर	अजजा	शा. महा. भानुप्रतापपुर (बस्तर)
2.	श्रीमति [illegible] हेमलता मार्टिन शा. रा. दु. महा. मंडला	अजजा	शा. महा. किरन्दुल (बस्तर)
3.	श्री ए. एच. अंसारी, स. प्रा. शा. रा. दु. महा. मंडला	पि. व.	शा. महा. अम्बागढ़ चौकी (राजनांदगांव)
वनस्पतिशास्त्र-			
1.	श्रीमती अर्चना सोनारे (राजटेक) शा. महा. बैतूल	अजा	शा. महा. सौंसर (छिंदवाड़ा)
2.	श्रीमती उषा सिंह, स प्रा. शा. महा. अकलतरा (बिलासपुर)	अजा	शा. महा. अम्बागढ़ चौकी (राजनांदगांव)
3.	श्री जी. एस. ठाकुर, स. प्रा. शा. कन्या महा. दुर्ग.	अजजा	शा. महा. मनेन्द्रगढ़ (सरगुजा)
गृहविज्ञान:-			
1.	श्रीमति अंजना कैलाश, स. प्रा. शा. गृ. वि. महा. होशंगाबाद	अजजा.	शा. महा. कोंडागांव (बस्तर)

...2-

1.	2.	3.	4.
2.	श्रीमती रश्मि सिंह, स.प्रा. शा. महा. राजनांदगांव	अजजा.	शा. कन्या महा. [illegible]
3.	श्रीमती मीना शिशोदिया, शा. कन्या महा. रतलाम	अजा	शा. कन्या महा. खरगौन
4.	श्रीमती ऐलन टोप्पो, स.प्रा. शा. कन्या महा. अंबिकापुर	अजजा	शा. कन्या महा. [illegible]

गणित-

1.	श्री [illegible] कुमार गोयल, स.प्रा. शा. महा. सतना.	अजा	शा. महा. सौंसर (छिंदवाड़ा)
2.	श्रीमती दीपरत्ना ठाकुर शा. कन्या महा. बालाघाट	अजा	शा. महा. सेंधवा (खरगौन)
3.	श्री अनूप सिंह, स.प्रा. शा. [illegible] महा. दतिया	पि.व.	शा. महा. [illegible] (रायपुर)
4.	श्री टी.के. [illegible], स.प्रा. शा. महा. मंदसौर	पि.व.	शा. महा. मनावर (धार)
5.	श्री आर. पंचभाई, स.प्रा. शा. महा. भाटापारा (रायपुर)	अजा	शा. महा. भाटापारा (रायपुर)
6.	श्री मनोहर चौकड़े, स.प्रा. शा. महा. भानुप्रतापपुर (बस्तर)	अजजा	शा. महा. भानुप्रतापपुर (बस्तर)

समाजशास्त्र-

1.	कु0 [illegible] वैनेट, स.प्रा. शा. महा. [illegible] (मंडला)	अजा.	शा. महा. परसवाड़ा (बालाघाट)
2.	श्रीमती रोहिणी आर्मो, स.प्रा. शा. महा. शाहपुरा (मंडला)	अजजा.	शा. महा. शाहपुरा (मंडला)
3.	श्री शिवकुमार यादव, स.प्रा. शा. महा. हरसूद (खण्डवा)	पि.व.	शा. महा. धरमपुरी (धार)

राजनीतिशास्त्र-

1.	कु0 अनिता तम्हाने, स.प्रा. शा. महा. जैतपुर (शहडोल)	अजा	शा. महा. [illegible] (शहडोल)
2.	श्री जे.पी. [illegible], स.प्रा. शा. महा. [illegible] (राजनांदगांव)	अजा	शा. महा. बिछिया (मंडला)
[illegible]	श्री भावसिंह [illegible], स.प्रा. शा. महा. मनावर (धार)	अजजा	शा. महा. मनावर (धार)
[illegible]	डा. श्रीमती अल्का आर. देव शा. महा. दल्ली राजहरा (दुर्ग)	अजजा	शा. महा. दल्लीराजहरा (दुर्ग)

		3.	4.
	कुमारी [illegible] तावले, स.प्रा., शा. महा. चपरिया (बिलासपुर)	अजा	शा. महा. [illegible] (रायपुर)
	श्रीमती निर्मला खलखो, स.प्रा., शा. महा. भिण्ड	अजजा	शा. महा. पेटलावद (झाबुआ)
	श्री [illegible] कुमार नेताम, शा. महा. [illegible] (बस्तर)	अजजा	शा. महा. [illegible] (बस्तर)
	श्रीमती मीना [illegible], स.प्रा., शा. विज्ञान महा. दुर्ग	अजजा	शा. महा. धार
5.	श्रीमती [illegible] (गुलाब-लकड़ा), शा. महा. [illegible] (रायपुर)	अजजा	शा. महा. धरमपुरी (धार)
6.	श्री दाउलाल पटेल, स.प्रा., शा. [illegible] महा. बालोदाबाजार (रायपुर)	पि.व.	शा. महा. [illegible]
7.	डा. श्रीमती गीता राय, शा. महा. जगदलपुर	पि.व.	शा. महा. जगदलपुर
8.	श्रीमती गौरी [illegible], शा. महा. वैशालीनगर (दुर्ग)	पि.व.	शा. महा. पेन्ड्रा (बिलासपुर)
9.	श्री जितेन्द्र कुमार पाटले, कन्या महा. [illegible]	अजा	शा. कन्या महा. [illegible]

अर्थशास्त्र–

1.	श्रीमती रजनी भारती, शा. के. पी. महा. देवास	अजा	शा. महा. धामनोद (धार)
2.	श्री दीपक प्रसाद [illegible], शा. महा. छुरिया (राजनांदगांव)	अजा	शा. महा. परसवाड़ा (बालाघाट)
	श्री नारायण प्रसाद, शा. महा. गाडरवारा (नरसिंहपुर)	अजजा	शा. महा. [illegible] (मंडला)
4.	श्रीमती पूर्णिमा साहू, शा. महा. कोरबा (बिलासपुर)	पि.व.	कन्या महा. कोरबा (बिलासपुर)
	श्रीमती रीता जायसवाल, सरोजनी नायडू कन्या महा. भोपाल	पि.व.	शा. महा. सौंसर (छिंदवाड़ा)
	श्री [illegible], शा. महा. मुलताई (बैतूल)	पि.व.	शा. महा. [illegible] (सीधी)
	श्री [illegible], शा. कन्या महा. इटारसी	पि.व.	शा. महा. जयसिंह नगर (शहडोल)
	श्री एस. आर. सिन्हा, (स. [illegible]), शा. [illegible] (दुर्ग)	पि.व.	शा. महा. [illegible]

...

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर (म0प्र0)

क्रमांक/ /स्था0/2000/कांकेर, दिनांक ....

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
नरहरपुर (म0प्र0)

विषय:- श्री [illegible] कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) का कार्यभार ग्रहण कराया बाबत् ।

सन्दर्भ:- आपका पृ0 पत्र क्रमांक/201/स्था0/2000/नरहरपुर दिनांक 12-7-2000.

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रक के साथ श्री [illegible] कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) ने इस महाविद्यालय में दिनांक 13-7-2000 (पूर्वान्ह) में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

सूचनार्थ।

PRINCIPAL
Govt. Girls College Kanker
Distt. Kanker (M. P.) 494334

पृ0क्रमांक/ 342 /स्था0/2000/कांकेर दिनांक 17/7/2000 18

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
2. विशेष सहायक, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उ0शि0 विभाग (मंत्रालय) भोपाल (म0प्र0)
3. महालेखाकार, ग्वालियर (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा रायपुर [illegible] संभाग, रायपुर
6. प्राचार्य, [illegible], शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (म0प्र0) को सूचनार्थ ।
7. संबंधित प्राध्यापक, को सूचनार्थ ।
8. व्यक्तिगत नस्ती ।
9. कार्यालयीन प्रति ।

17-7-2000

PRINCIPAL
Govt. Girls' College Kanker

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

May 15, 2021, 13:28

(2)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 1995

क्रमांक एफ-1/137/93/ए-1/38::(अंग्रेजी) लोक सेवा आयोग द्वारा) निम्नलिखित अभ्यार्थियों को सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद पर वेतन मान रूपये 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है।
229.	श्री सुनील कुमार साहू साहुरबन्द पारा प्रशिक्षणशाला के पास कांकेर जिला बस्तर 494334	शा. महा. नरायणा (बस्तर)
230.	श्री नरेन्द्र सिंह एम. एल. बी. शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने विदिशा म0प्र0 464001	शा. कन्या महावि. कांकेर (बस्तर)
231.	कुमारी मनहर डागा द्वारा श्रीमती कलावती डागा 5127, जूना प्रभुनगर असारवा, अहमदाबाद-380016	शा. महा. अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)
232.	श्री. विकास कुमार शर्मा पुत्र डॉ. चन्द्रपाल शर्मा "सहयोग" सरोजनगर, पिलखुआ (गाजियाबाद) उत्तर प्रदेश 245304	शा. महावि. सारणी (बैतूल)
233.	कु. लवनी रानी राजवंशी 265 लक्ष्मीनगर सूरजकुण्ड रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश -250001	शा. महा. वारासिवनी (बालाघाट)
235.	कुमारी हरभाजन कौर (आपाती सहायक प्राध्यापक) 32, दशहरामैदान उज्जैन म0प्र0 456010	शा. विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय बेनजीर भोपाल
236.	श्री लेखा मूर्ति 7/एच-741, अरेरा कालोनी	शा. कन्या महावि. बलौदाबाजार (रायपुर)

May 15, 2021, 13:28

249.	श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा श्री वी.के. शर्मा 6[illegible], गांधी नगर शिवपुरी म.प्र. 473551	शा. कन्या महावि. [illegible]
250.	श्री जी. म. [illegible] कृषि [illegible] देवेन्द्र प्रताप कालेज के पास, बिलासपुर म. प्र. 495001	शा. महा. सूरजपुर [illegible]
252.	कुमारी [illegible] एम. आई. जी. -1/227, हुडको [illegible] नगर जिला दुर्ग (म.प्र.) 490006	शा. महा. [illegible]
253.	श्री आलोक गुप्ता बी. 46 [illegible] रोड इन्दौर -म.प्र.	शा. स्नातकोत्तर महा. धार
254.	श्री अजय कुमार झा [illegible] [illegible] जिला [illegible] म.प्र. 484[illegible]6	शा. महावि. जयसिंहनगर (शहडोल)
255.	श्री हरेश्वर राय द्वारा श्री अजीत कुमार राय ग्राम बघरी, जिला भोजपुर (बिहार) 802207	शा. महा. राजिम (रायपुर)

2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगी ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

4/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं म.प्र. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 के [illegible]

6/ पदभार ग्रहण करते समय [illegible] प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना [illegible] के पश्चात् [illegible] प्रमाण-पत्र [illegible] ।

7/ पदनियुक्ति समाप्ति: [illegible] माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/[illegible] जा सकेगी । इसी प्रकार अधिकारी [illegible] माह का वेतन/भत्ता [illegible] दिया जा सकेगा ।

8/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 16 मार्च, 1995 तक [illegible] पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश [illegible] जायेगा । शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं में कार्यरत अभ्यार्थी [illegible] उपस्थिति के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना [illegible]

9/ नवनियुक्त अधिकारियों के परिवीक्षा काल में पदस्थापना में परिवर्तन स्थानान्तरण का कोई भी प्रयास शासकीय सेवा के अयोग्य ठहराने के लिये पर्याप्त आधार होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

[illegible]

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
[illegible] 5-56153

पृ०क्र०/एफ-1/137/93/सी-1/38 भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 1995

प्रतिलिपि:-

1. [illegible] उच्च शिक्षा विभाग [illegible] की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. महालेखाकार [illegible] ग्वालियर ।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संभाग
6. संबंधित प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय
7. संबंधित अभ्यर्थी [illegible] ।

(हस्ताक्षर)

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

y 15, 2021, 13:28

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

फोन.न0– 07868–223904 Emil ID- ggckanker@gmail.com, Web Site- ggcknk.in

क्रमांक / 177 /स्था. / 2016 कांकेर दिनांक 30 / 07 / 2016

प्रति,

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

विषय :– कार्यभार ग्रहण करने बावत्।
संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्रमांक / एफ 1–21 / 2016 / 38–1 नया रायपुर दिनांक 28.07.2016
2. प्राचार्य शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर का भारमुक्ति आदेश क्रमांक / 1858 / स्था. / 2016 दिनांक 29.07.2016

==00==

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि श्री दूजराम टंडन सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) का स्थानांतरण शासकीय वीर गैंद सिंह माहविद्यालय पखांजूर से शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर किया गया । आदेश के परिपालन में आज दिनांक **30 / 07 / 2016 को पूर्वान्ह** में कार्यभार ग्रहण किया।

सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / 178 – /स्था. / 2016 कांकेर दिनांक 30 / 07 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
4. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, बस्तर संभाग जगदलपुर।
5. प्राचार्य, शासकीय शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय पखांजूर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. संबंधित सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थ।
8. व्यक्तिगत नारती।
9. स्थापना शाखा, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर।

(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker

Govt. Indaru Kenvat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker 494334

PRINCIPAL
Govt. Girls College, Kanker

पंजीकृत डाक से.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर
— — 0 — —
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3949/3939/2012/38—1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2576/95/2010/32/चयन, दिनांक 06/11/2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड 15600—39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:—

अनु.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	लोकमनी यादव एम.आई.जी.—3 मोती नगर, बोरिया रोड, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड — 492001	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला—बलरामपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	नीलम संजीव एक्का ए —1, शिक्षक कॉलोनी, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, परसिर, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड — 492010	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर, जिला—बलरामपुर	अनुसूचित जाति
3	दूजराम टंडन दूजराम टंडन, जोधापुर वार्ड, धमतरी, तह/पो.आ./जिला—धमतरी पिन कोड — 493773	शास. वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर, जिला—कांकेर	अनुसूचित जनजाति

1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा तथा अधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण—पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

निरंतर 2

12/11/12

15, 2021, 13:28

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों पर वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों पर छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक /2/11/2012

पृ. क्र. 3956 / 3939/2012/38–1
प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

j 15, 2021, 13:28

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) कलेक्टर, जिला–.................................... (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र 2576/95/2010/32/चयन, दिनांक 06/11/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर,रायपुर छ.ग.।
(9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(10) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(11) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय................................की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(12) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला–..............................।
(13) संबंधित ...[illegible]...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(14) आदेश फोल्डर।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

May 15, 2021, 13:28

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

फोन.न0– 07868–223904 Emil ID- ggckanker@gmail.com, Web Site- ggcknk.in

क्रमांक / /स्था. /2017 कांकेर दिनांक /0 /2017

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

विषय :– कार्यभार ग्रहण करने बाबत्।
संदर्भ :– 1. आपका आदेश क्रमांक/एफ 1–40/2017/38–1 नया रायपुर दिनांक 14.08.2017
2. प्राचार्य शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर का भारमुक्ति आदेश क्रमांक/209/स्था./2017 दिनांक 28.08.2017

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है, कि श्री मनोज कुमार सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) का स्थानांतरण शासकीय वीर गैंद सिंह माहविद्यालय पखांजूर से शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर किया गया । आदेश के परिपालन में आज दिनांक **29/08/2017 को (पूर्वान्ह) में कार्यभार ग्रहण किया।**

सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/259/स्था./2017 कांकेर दिनांक 01/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायंपुर।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
4. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, बस्तर संभाग जगदलपुर (छ0ग0)।
5. प्राचार्य, शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय पखांजूर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. संबंधित [illegible] को सूचनार्थ।
8. व्यक्तिगत नास्ती।
9. स्थापना/लेखा शाखा शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर (छ0ग0)।

(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ0ग0)

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker 494334

Govt. Girls College Kanker
Distt. Kanker (C. G.) 494-334

May 15, 2021, 13:28

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर
— — 0 — —
:: आदेश ::

पंजीकृत डाक

क्रमांक 3951 / 3794 / 2012 / 38–1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक / 2360 / 95 / 2010 / 15 / चयन, दिनांक 04 / 10 / 2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (**वनस्पति शास्त्र**) के पद पर वेतन बैंड 15600–39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है: —

नया रायपुर, दिनांक 12 / 11 / 2012

अनु.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	श्री मनेश कारंकर एम.आई.जी.–15, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, अघनपुर (बि.स.र) छत्तीसगढ़, पिन कोड–494005	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा	अनारक्षित
2	संजय कुमार शुक्ला रि. ग्रीन एस.टी.डी., राममंदिर चौक, पडावपारा, कुरूसिरोड–कोटा, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–495113	शासकीय डॉ.भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेण्ड्रा जिला–बिलासपुर	अनारक्षित
3	श्रीमती नमता दुबे (पाण्डेय) द्वारा पद्मश्री डॉ.सुरेन्द्र दुबे (सचिव, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग) II / 6, ए. ई.ए.सी.कालोनी, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड–492001	शासकीय बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरंग, जिला–रायपुर	अनारक्षित महिला
4	श्रीमती शुभा वर्मा द्वारा डॉ.डी.प्रकाशम (रिटा. प्रो.) तोरवा कब्रिस्तान नाका, मेन रोड, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–495001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़, जिला–रायगढ़	अनारक्षित महिला
5	मनोज कुमार शर्मा कमरा नं. 53, डी.बी.एन.छात्रावास राजस्थान वि. वि., जयपुर, राजस्थान पिन कोड–302004	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला–सरगुजा	अनारक्षित
6	श्रीमती चंचल चतुर्वेदी क्वा. नं.–1, मकान नं.–04 दूरसंचार कालोनी, कटोरा तालाब, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–492001	शासकीय डॉ०राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर जिला–रायपुर	अनारक्षित महिला
7	मुकेश कुमार अग्रवाल द्वारा श्री बजरंग लाल अग्रवाल, ग्राम–मादरपाडी, व्याहा–कोड, जिला–सीकर, राजस्थान, कोड–332708	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर, जिला–नारायणपुर	अनारक्षित

निरंतर 2

(हस्ताक्षर) 12/11/12

15, 2021, 13:28

8	श्री अ रजीत सिंह कमरा नं. 60, अ नाथ झा छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश पिन कोड–231211	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया	अनारक्षित,
9	डॉ. शिखा अग्रवाल द्वारा श्रीमती सविता रशीने, राम मंदिर के बाजू में, शांति नगर, रायपुर जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड– 49200	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला–गरियाबंद	अनारक्षित, महिला
10	प्रभु नाथ शुक्ला बाराखड़ी बाजार, मेहनादवाल रोड, पुरानी बस्ती, जिला–बस्ती (उत्तर प्रदेश), पिन कोड–272002	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी.महाविद्यालय, कवर्धा,जिला–कबीरधाम	अनारक्षित
11	श्रीमती पूर्णिमा सेठ ब्लाक–2, प्लाट–5, नेहरु नगर (ईस्ट) भिलाई, छत्तीसगढ़, पिन कोड––490020	शासकीय स्व. चन्दुलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन, जिला–दुर्ग	अनारक्षित, महिला
12	शिवाकांत मिश्र आजाद 1 फ/3, कच्ची सड़क, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश,पिन कोड–211006	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी, जिला–कोरिया	अनारक्षित
13	कंचन लता सिंह द्वारा श्री अमरेश्वर सिंह ग्राम–शिवपुर, पो.–पथरौरा (अदलहाट), जिला–मीरजापुर उत्तर प्रदेश पिन कोड–231302	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर, जिला–जांजगीर चांपा	अनारक्षित महिला
14	प्रशान्त कुमार सिंह 1101/5–च, सुरेकापुरम कालोनी, बथुआ, मीरजापुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड–231001	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला–जशपुर	अनारक्षित,
15	श्री विजय प्रताप सिंह शोध छात्र, रंजन प्रयोगशाला वनस्पति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश पिन कोड–211002	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया	अनारक्षित,
16	ज्योत्सना तिवारी 55 कादम्बरी नगर, धमधा रो. दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड–491001	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव	अनारक्षित, महिला
17	रंजीत कुमार 32, डायमण्ड जुबली हास्टल,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेशपिन कोड–211002	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला–गरियाबंद	अनारक्षित
18	उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी संकट मोचन मंदिर 2–ए बेली रोड नया कटरा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पिन कोड–211002	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा	अनारक्षित
19	अमित सिंह द्वारा प्रमचन्द गुप्ता 527 राजेश्वर कालोनी, सुरेन्द्र नगर (निकट पुराना बर्फ खाना) अलीगढ़, उत्तर प्रदेश पिन कोड– 20200	शासकीय महाविद्यालय, सनावल, जिला–बलरामपुर	अनारक्षित

निरंतर 3

12/11/12

20	दीपा खरे सोः कृपया महादेव नगर, न्यू चंगोरा भाठा, रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड- 4952001	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदा बाजार	अनारक्षित महिला
21	सतेन्द्र सिंह मीणा द्वारा श्री दच्चू सिंह मीणा ग्राम व पोस्ट–रवानपुर मीणा, तहसील–बाड़ी, जिला-धौलपुर, राजस्थान पिन कोड–328021	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर	अनारक्षित
22	सन्दीप कुमार यादव 32, डायमण्ड जुबिली छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पिन कोड–211002	शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर जिला–सुरजपुर	अनारक्षित
23	रवि कुमार साहू मकान नं. 2 जवाहर नगर, पो+तह. अकलतरा जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, पिन कोड–495552	शासकीय डॉ.इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा, जिला–जांजगीर	अनारक्षित
24	विनय कान्त मिश्रा द्वारा विजय अनेजा, झंडा चौराहा, निकट–टेलीफोन एक्सचेंज, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड–242001	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर	अनारक्षित
25	नवीन कुमार रैलवानी ए–5 गार्डन सिटी मोपका रोड राहुल ढाबा के बगल में, पोस्ट–गोपका तहसील –बिलासपुर,जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड-495001	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी, जिला–बिलासपुर	अनारक्षित
26	गौरी बिश्वास द्वारा श्री नरेन्द्र गुप्ता, न्यू बजरंग ट्रांसपोर्ट, न्यू नरेन्द्र [illegible] के पीछे, जगदलपुर, जिला–बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड–494001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बकावंड, जिला–बस्तर	अनारक्षित महिला
27	ललिता पटेल द्वारा श्री [illegible] पटेल महामाया मंदिर के पास, वार्ड नं. [illegible] बेमेतरा, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़, पिन कोड-491335	शासकीय जवाहर लाल नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा	अनारक्षित महिला
28	प्रभात कुमार श्रीवास्तव शोध छात्र, रंजन प्रयोगशाला, वनस्पति, विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पिन कोड–211002	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान, जिला–सूरजपुर	अनारक्षित
29	प्रवीण जैन, [illegible] इनफेन्ट स्कूल के पास, क्रॉस स्ट्रीट –3, [illegible] नगर रिसाली, भिलाई जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड–491368	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर	अनारक्षित
30	एन्जेली खलखो द्वारा राजेश ए खलखो, डीपीओ आफिस, सिविल कोर्ट प्रीमिसेस, अंबिकापुर जेला–सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497001	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर, जिला–सरगुजा	अनारक्षित महिला
31	देवेन्द्र सिंह पटेल रिसर्च स्कॉलर, [illegible] विभाग, डॉ.हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र. पिन कोड–470003	शासकीय महाविद्यालय कोंटा, जिला–सुकमा	अनारक्षित
32	राकेश पाण्डेय द्वारा ओ.राम [illegible] पाण्डेय म.नं. 201/6, शिवा कालोनी, कोतवाली के पास, पोस्ट–पुरानी बस्ती, जिला–बस्ती उत्तर प्रदेश, पिन कोड–270002	शासकीय महाविद्यालय आरा, जिला–जशपुर	अनारक्षित

निरंतर 4

Vanaspati

20	दी[illegible] खरे सो: कृपया महादेव नगर, न्यू चंगोरा भाठा, रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड- 4952001	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदा बाजार	अनारक्षित महिला
21	स[illegible] सिंह मीणा द्वारा श्री बच्चू सिंह मीणा ग्राम व पोस्ट–रुजानपुर मीणा, तहसील–बाड़ी, जिला-धौलपुर, राजस्थान पिन कोड–328021	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर	अनारक्षित
22	संदीप कुमार यादव 32, डायमण्ड जुबिली छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड–211002	शासकीय महाविद्यालय, बिश्रामपुर जिला–सुरजपुर	अनारक्षित
23	रवि कुमार साहू मकान नं. 2 जवाहर नगर, पो.+तह. अकलतरा जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, पिन कोड–495552	शासकीय डॉ.इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा, जिला–जांजगीर	अनारक्षित
24	विनय कान्त मिश्रा द्वारा विजय अरोड़ा, झंडा चौराहा, निकट–टेलीफोन एक्सचेंज, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड–242001	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर	अनारक्षित
25	नवीन कुमार रैलवानी ए–5 गार्डन सिटी मोपका रोड राहुल ढाबा के बगल में, पोस्ट–मोपका तहसील –बिलासपुर,जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड-495001	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी, जिला–बिलासपुर	अनारक्षित
26	मौ[illegible]ी बिश्वास द्वारा श्री नरेन्द्र गुप्ता, जय बजरंग ट्रांसपोर्ट, न्यू नरेन्द्र [illegible] के पीछे, जगदलपुर, जिला–बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड–494001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बकावंड, जिला–बस्तर	अनारक्षित महिला
27	ललिता पटेल द्वारा श्री आर[illegible] पटेल महामाया मंदिर के पास, वार्ड नं. 13 बेमेतरा, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़, पिन कोड-491335	शासकीय जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा	अनारक्षित महिला
28	प्रभात कुमार श्रीवास्तव शोध छात्र, रंजन प्रयोगशाला, वनस्पति ,विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 211002	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान, जिला–सूरजपुर	अनारक्षित
29	प्रवीण जैन, [illegible] इनफेन्ट स्कूल के पास, क्रॉस स्ट्रीट - 3, प्रभात नगर, रिसाली, भिलाई जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड–491[illegible]	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर	अनारक्षित
30	एलमेरी खलखो द्वारा राजेश ए खलखो, डीपीओ आफिस, सिविल कोर्ट प्रीमिसेस, अंबिकापुर जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497001	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर, जिला–सरगुजा	अनारक्षित महिला
31	देवेन्द्र सिंह पटेल रिसर्च स्कॉलर, वनस्पति शास्त्र विभाग, डॉ.हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश पिन कोड–470003	शासकीय महाविद्यालय कोटा, जिला–सुकमा	अनारक्षित
32	राकेश पाण्डेय द्वारा ओ.एन. [illegible] पाण्डेय म.नं. 201/6, शिवा कालोनी, कोतवाली के पास, पोस्ट–पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश, पिन कोड–270002	शासकीय महाविद्यालय आरा, जिला–जशपुर	अनारक्षित

निरंतर 4

[signature] 12

y 15, 2021, 13:28

33	कौशिल्या साहू द्वारा प्रेमराम साहू, म.नं. 03ई, कोटा वार्ड नं. 12 पो.आ. रविशंकर वि.वि. रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड–492010	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, जिला–महासमुंद	अनारक्षित
34	[illegible] महोबिया द्वारा श्री रामाधार महोबिया, ई–27 सेक्टर [illegible], रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड–492010	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार, जिला–बलौदाबाजार	अ.पि.वर्ग
35	जितेन्द्र यादव आत्मज श्री परस राम यादव, बी–121, ए.म. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोटा, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–492010	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार	अ.पि.वर्ग
36	[illegible] द्वारा डी.आर.किरसान, संभाग आयुक्त कार्यालय, रायपुर, नया बस स्टैण्ड पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–495450	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़	अ.ज.जाति
37	श्रीमती इन्दु कौशल द्वारा श्री कौशल प्रसाद मरावी [illegible]–चकर भाठा, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–495220	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला–बिलासपुर	अ.ज.जाति महिला
38	श्रीमती राजलक्ष्मी सराफ द्वारा श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सराफ, मेन रोड [illegible] पारा, जांजगीर चांपा, जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ पिन कोड–495668	शासकीय [illegible] महारानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा, जिला–जांजगीर	अ.पि.वर्ग महिला
39	शांति लता मिंज ग्राम+पोस्ट–[illegible], जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन कोड–497101	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर	अ.ज.जा. महिला
40	शशि भूषण कन्नौजे ग्राम–हाफा, पो–[illegible], तह–तखतपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड–495001	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव	अनु.जाति
41	देवेन्द्र कुमार पटेल द्वारा श्री शोभाराम पटेल, ग्राम–नन्दपुर, थाना–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड–495692	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद	अ.पि.वर्ग
42	अवनी कुमार पटेल द्वारा शोभाराम पटेल, ग्राम–नन्दपुर, थाना–डभरा जिला–जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड–495692	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया जिला–रायगढ़	अ.पि. वर्ग
43	[illegible] कुमार ग्राम–कुरुदडीह, पोस्ट–सीहा, व्हाया–अण्डा, तह–पाटन, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड–491221	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव, जिला–जशपुर	अनु.जाति
44	[illegible] कुमार द्वारा नवीन [illegible] नं. एम–8, ए.पी.एस.सी. कालोनी, कोटा, रायपुर, पो.आ.–रविशंकर विश्वविद्यालय, जि.–रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–492[illegible]	शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर, जिला–कांकेर	अनु.ज.जा.
45	ओमप्रकाश [illegible] ग्राम–आछी, पो.–[illegible], व्हाया–कुरुद, तह–धमतरी जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़, पिन कोड–493773	शासकीय महाविद्यालय गुरूर, जिला–बालोद	अनु.जाति

निरंतर ....

61	शा... ...ता बेक के... ...नी, नावापारा, पो.आ.-फुन्दुरडिहारी, ... जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन कोड-...7001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिल... ...ी, जिला-सरगुजा	अ.ज.जा. महिला
62	श्रीराम कुंजाम ... एस.एल.कुंजाम ... पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. परिसर, रायपुर, ...ज. पिन कोड-492010	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महावि... ...लय, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	अ.ज.जा.
63	... ...ग ... विनय कुमार तिर्की ... (धुगाडाडं), कुनकुरी, जशपुर (छ.ग.) ...-496225	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला, जिला-जशपुर	अ.ज.जा. महिला
64	... ...ार वर्मा ... ...गुलजार प्रसाद वर्मा (राजस्व निरीक्षक) ... तहसील-मरवाही शाखा, कानूनगो, जिला-...लासपुर, छत्तीसगढ़ पिन ...-495117	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर	अनु.जाति

1. ... नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2. ...र्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स...ापन के उपरांत ... ...नुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा ...स्तुत किसी भी प्रक... ...ा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ ...त्काल समाप्त कर ... जायेंगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार क... दावेदारी का हकद... नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण क...ते समय प्रस्तुत कर... ...गा।

3. ...युक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्र...ण-पत्र प्रस्तुत कर... ...निवार्य होगा।

4. ...र्यभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र ...स्तुत करना होगा ... ...यायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वाप... कर दिये जायेंगे।

5. ...रक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का स...त्यापन स्वतः छानबीन ...मिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रि...र्ट प्रस्तुत की जाएगी ...र यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित ...ाति प्रमाण पत्र प्रस्तु... ...रने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत ...सका जाति प्रमाण ... ...र्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वा...ह के बिन... उसकी नियोक्ता द्वा... ...वाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उस... विरूद्ध भारतीय द... ...हिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सके...ी। जाति ...माण पत्र के सत्याप... ...परांत ही संबंधि... की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य कि... जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्य... दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के स...त्यापन हेतु छानबीन समिति ... उपलब्ध कराएगा।

6. ...सकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति ...े समय नियोक्ता ... ...ापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निरंतर 7

Vanaspati

7 [illegible] भार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलि नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन का पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापि छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8 नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भत नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इ राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे

10 यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा ए माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक मा का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीत पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त मा जायेगा।

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरंक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

पृ. क्र. 3157 / 3794/2012/38–1 ::
प्रतिलिपि :

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) कलेक्टर, जिला–.............................. (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2360/95/2010/15/चयन, दिनांक 04/10/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर,रायपुर छ.ग.।
(9) संचालक , जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(10) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

निरंतर 8

Vanaspati

15, 2021, 13:28

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

फोन नं. 07868–223904, Emil ID – ggcknker@gmail.com Web Site. www.ggcknk.in

क्रमांक / 254 / स्था. / 2017 कांकेर दिनांक 01 / 09 / 2017

/ / आदेश / /

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–1–15 / 2017 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 29 / 08 / 2017 एवं छ.ग. लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक / 1010 / 22 / चयन / 17 / F दिनांक 31 / 07 / 2017 के आदेशानुसार श्री अजय कुमार पटेल, आ.श्री ठंडाराम पटेल, ग्रा.+पो. हथनेवरा, तह. चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) की नियुक्ति सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) के पद पर शासकीय इंदय केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर में 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा अवधि पर अनन्तिम रूप से की गई है। उन्होंने आज दिनांक 31 / 08 / 2017 को (पूर्वान्ह) पदभार ग्रहण किया।

तहा / –
(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 255 / स्था. / 2017 कांकेर दिनांक 01 / 09 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर छ0ग0।
3. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन मंत्रालय, नया रायपुर।
4. महालेखाकार छ0ग0 रायपुर ।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन रायपुर।
6. अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर (बस्तर) छ0ग0।
7. जिला कोषालय अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)।
8. संबंधित सहायक प्राध्यापक (गृविज्ञान) श्री अजय कुमार पटेल, आ.श्री ठंडाराम पटेल, ग्रा.+पो. हथनेवरा, तह. चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. लेखा / स्थापन शाखा शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर।
10. व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ0 रश्मि सिंह)
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कांकेर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Induru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B. Kanker 494334

15, 2021, 13:28

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

— — ० — —

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1–15/2017/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1010/22/चयन/17/F दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री अजय कुमार पटेल आ.श्री.ठंडाराम पटेल,ग्राम. पो.हथनेवरा, तह. चांपा, जिला – जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	OBC /UR
2	ज्योति मिश्रा पति श्री सुमित मिश्रा नियर रेल्वे क्रांसिग कोटा रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय महाविद्यालय, बेरला जिला बेमेतरा	UR-F
3	रेणु त्रिपाठी आ. श्री चन्द्र प्रताप त्रिपाठी, 33/36 दिलकुशा पार्क न्यू कटरा,इलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR-F
4	श्वेता त्रिपाठी आ.श्री एच.एल.त्रिपाठी, 1929 सुनीलता मुखर्जी राईट टाउन कर्नाटका बैंक के सामने जबलपुर म.प्र. 782002	शासकीय पं. माधवराव सप्रे कन्या महाविद्यालय, पेन्ड्रारोड जिला बिलासपुर	UR-F-O
5	सविता चौधरी आ.श्री.एन.के.चौधरी ब्लाक नं 18/ए सड़क–02 सेक्टर 02 भिलाई नगर जिला–दुर्ग छ.ग. 490001	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

.....................2

F1

May 15, 2021, 13:28

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नही होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

..............................3

पृ.क्र. एफ 1–15/
प्रतिलिपि :–
(1)
(2)

5, 2021, 13:28

प.क्र. एफ 1—15/2017/38—1

प्रतिलिपि :—

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

(6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(8) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।

(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1010/22/चयन/17/F दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।

(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका—2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... (छ.ग.)।

(15) संबंधित सर्वश्री...

.... कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

F3

2021, 13:28

LIST of Current Teachers

2021-22									
S. No.	**Name of the Full-time teacher**	**PAN**	**Designation**	**Name of the Department**	**Gender**	**Year of appointment in the same institution**	**Nature of appointment (Against Sanctioned post, temporary, permanent)**	**Total years of Experience in the same institution**	**Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution**
1	Prof. B. Samund	AJEPS8386G	Assistant Professor	History	M	7/7/1994	Permanent	28	Yes
2	Dr. R. P. Tandan		Assistant Professor	Hindi	M	########	Permanent	32	Yes
3	Prof. J. K. Barle	AEUPB6993B	Assistant Professor	Geography	M	########	Permanent	32	Yes
4	Prof. S. K Sahu	APEPS2187P	Assistant Professor	English	M	7/13/2000	Permanent	22	Yes
5	Prof. D. R. Tandan	AJMPT5427H	Assistant Professor	Sociology	M	7/30/2016	Permanent	6	Yes
6	Prof. Manoj Kumar	BLAPG6358M	Assistant Professor	Botany	M	8/29/2017	Permanent	5	Yes
7	Prof. Ajay Patel	CCCPP4991D	Assistant Professor	Home Science	M	8/31/2017	Permanent	5	Yes
8	Prof. Aarti Markam	COBPM4316L	Assistant Professor	Economics	F	1/31/2022	Permanent		New Join
9	Prof. Rashmi Nag	AVTPN2813Q	Assistant Professor	Zoology	F	4/6/2022	Permanent		New Join
10	Prof. Reena Jamunkar	BSTPJ4485D	Assistant Professor	Chemistry	F	4/22/2022	Permanent		New Join

Bsamund

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

List of Current Students

				B. A. III (2022-23)
S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BA/21/03691	Archana	Shri Lachchhan Ram	2021
2	BA/21/04572	Aarti	Shri Ganesh Ram	2021
3	BVA/21/01701	Aanchal	Shri Nammu Ram	2021
4	BVA/21/01703	Amrata Markam	Shri Mangau Ram	2021
5	BVA/21/01704	Anamika Kaushik	Shri Pradeep Kaushik	2021
6	BVA/21/01705	Ankaleen Gawde	Shri Burry Ram	2021
7	BVA/21/04581	Athithi Kosam	Shri Birhanal Kosam	2021
8	BA/21/05245	Anju	Shri Mangal Singh	2021
9	BA/20/29461	Aarti	Shri Suresh Ram	2020
10	BVA/21/01709	Babli	Shri Narayan	2021
11	BVA/21/01712	Bharti	Shri Maansay	2021
12	BVA/21/01711	Bedbati Yadav	Shri Shrichand	2021
13	BA/20/29328	Bijeshwari	Shri Kripa Ram	2020
14	BVA/21/01713	Chanchal	Shri Jageshwar	2021
15	BVA/21/01716	Dameshwari Nishad	Shri Shivprasad	2021
16	BVA/21/01717	Deepika	Shri Bhuneshwar	2021
17	BVA/21/04593	Devki Kodopi	Shri Geevan Lal Kodopi	2021
18	BVA/21/01718	Dimpal prajapati	Shri Rajendra Prajapati	2021
19	BVA/21/01719	Divya Netam	Shri pirthi Netam	2021
20	BVA/20/29344	Dropadi	Shri Manrakhan	2020
21	BVA/21/01720	Gayatree	Shri Bhuneshwar Singh	2021
22	BVA/21/01721	Geetanjali	Shri Mahesh Kumar	2021
23	BVA/21/01722	Gemeshwari Dhruw	Shri Dwij Ram Dhruw	2021
24	BVA/21/04602	Gomti Kunjam	Shri Atma Ram Kunjam	2021
25	BVA/19/03700	Guleshwari	Shri Girdhari Lal	2019
26	BA/21/04603	Grishma Singh	Shri Gajendra Singh	2021
27	BA/21/06378	Hema Tekam	Shri Bharat Tekam	2021
28	BVA/21/04608	Jasmika Mandavi	Shri Narad	2021
29	BA/21/04974	Jyoti Karpal	Shri Siya Ram Karpal	2021
30	BA/21/04611	Jyoti Taram	Shri Harishankar	2021
31	BVA/21/01723	Kajal Jain	Shri Satyawan Jain	2021
32	BVA/21/04613	Kajol Sahu	Shri Keshav Ram Sahu	2021
33	BVA/21/01725	Karishma	Shri Tulshi Ram	2021
34	BVA/21/01726	Khileshwari	Shri HridayLal	2021
35	BVA/21/01728	Kileshwari Jurri	Shri Sahdev Jurri	2021
36	BVA/21/01729	Kusum Lata Vatti	Shri Nohar Vatti	2021
37	BVA/21/04983	Kavita Kallo	Shri RamLal Kallo	2021
38	BA/21/04623	Khemlata	Shri Jansingh Potai	2021
39	BVA/21/06613	Lajvanti Mandavi	Shri Ramdayal Mandavi	2021
40	BVA/21/04634	Luleshwari Ganwar	Shri Paltoo Ram	2021
41	BA/21/05462	Lokeshwari	Shri Rainu Ram	2021
42	BVA/21/01730	Mamta Kawde	Shri Ramnath Kawde	2021
43	BVA/21/06630	Manisha Markam	Shri Chhedu Ram	2021
44	BVA/21/01733	Mineshwari Sonker	Shri Lakeshwar Sonker	2021
45	BVA/21/04704	Minakshee Markam	Shri Birju Ram Markam	2021
46	BVA/21/05500	Nandeshwari	Shri Jagat Ram	2021
47	BVA/21/04705	Narita Kujam	Shri Ghansi Ram Kunjam	2021
48	BVA/21/01735	Neelam	Shri TulaRam	2021

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar, Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kewat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

49	BVA/21/01736	Neetu Teta	Shri Ajar Singh	2021
50	BVA/21/01738	Nisha	Shri Suresh	2021
51	BVA/21/01776	Nitika	Shri pardeshi Ram	2021
52	BA/21/04643	Narmad	Shri RajaRam	2021
53	BA/18/8817	Neeleshwari	Shri Jaswant Kunjam	2018
54	BVA/21/01741	Priya shori	Shri Narendra Kumar	2021
55	BVA/21/01743	Puneeta	Shri Brij Lal	2021
56	BVA/21/01745	Purvi Kunjam	Shri Dineshwar Singh	2021
57	BA/21/04649	Pooja	Shri Ganesh Ram	2021
58	BA/21/04651	Preeti Sahu	Shri Vijay Kumar	2021
59	BVA/21/01747	Rameshwari Salam	Shri Uday Ram Salam	2021
60	BVA/21/01748	Ramita Koreti	Shri Ramsay Koreti	2021
61	BVA/21/01750	Ravita Kange	Shri Hire Singh	2021
62	BVA/21/01753	Rinkee	Shri Chandrabhan	2021
63	BVA/21/01756	Saniya Kange	Shri Chhabi Lal Kange	2021
64	BVA/21/05161	Santila	Shri Samsay	2021
65	BVA/21/01757	Sarita Korrm	Shri Nandu Korram	2021
66	BVA/21/01760	Seema Mandavi	Shri Harichand Mandavi	2021
67	BVA/21/01759	SeemaKange	Shri Khamman Lal	2021
68	BVA/21/04681	Shashikala Jain	Shri ShriRam Jain	2021
69	BVA/21/01762	Sheetal	Shri Chandra Kumar	2021
70	BVA/21/01763	Shivratri	Shri VishuRam	2021
71	BVA/21/01764	Soniya |Joddar	Shri Mahadev Joddar	2021
72	BVA/21/01766	Surekha Dhruw	Shri Shiyaram	2021
73	BA/21/04691	Surekh Nag	Shri Ahiman Nag	2021
74	BVA/21/01768	Sweta Kashyap	Shri Rajendra Kashyap	2021
75	BA/21/04679	Shanti Hichami	Shri Chhannu Ram	2021
76	BA/21/04684	Shyama	Shri Ram Prasad	2021
77	BA/21/04675	Sarswati Netam	Shri Dhanraj Netam	2021
78	BVA/21/01770	Thameshwari Kunjam	Shri Sangram Singh	2021
79	BVA/21/01771	Umabharti	Shri Rupesn	2021
80		Vandana	shri Ashok Kumar	
81	BVA/21/01774	Yogita Teta	Shri Vishram Singh	2021

			B. A. II (2022-23)	
S. No.	**Enrollment Number**	**Student's Name**	**Father's Name**	**year of Enrolment**
1	BVA/22/08461	Aasmeen	Shri Masha Ram	2022
2	BVA/22/08463	Anjali Salam	Shri Rakesh Salam	2022
3	BVA/22/08464	Anju	Shri Radheshyam	2022
4	BVA/22/08465	Anju Lata Koreti	Shri Chamaar Singh	2022
5	BVA/22/08466	Bhavna Rajak	Shri Mukesh Rajak	2022
6	BVA/22/08467	Chhabila	Shri Subhash	2022
7	BVA/22/08468	Dali Sen	Shri Goukaran	2022
8	BVA/22/08469	Devika	Shri Chinta Ram	2022
9	BVA/22/08470	Devika	Shri Naresh Kumar	2022
10	BVA/22/08472	Dineshvari	Shri Faganu Ram	2022
11	BVA/22/08473	Divya	Shri Dev Lal	2022
12	BVA/22/08474	Divya Nishad	Shri Brij Lal Nishad	2022
13	BVA/22/19202	Deepika	Shri Sukchand Marksm	2022

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

14	BVA/22/15841	Disha Yadav	Shri Ramcharan Yadav	2022
15	BVA/22/08475	Fuleshwari Kometi	Shri Ganda Rai	2022
16	BVA/22/08477	Geetanjali	Sjri Vasudev	2022
17	BVA/22/08478	Gunja	Shri Kuber Singh	2022
18	BVA/22/08479	Hema Sonker	Shri Jitendra Sonker	2022
19	BVA/22/08480	Hempushpa Korrm	Shri Jageshwar	2022
20	BA/22/15851	Himanshi Rangare	Shri Santosh Rangare	2022
21	BVA/22/08481	Indravti	Shri Jageshwar	2022
22	BVA/22/08482	Indu	Shri Gautam	2022
23	BVA/22/08482	Indu kange	Shri Shankar Lal Kange	2022
24	BVA/22/08485	Jitika Taram	Shri Lakhan Lal Taram	2022
25	BVA/22/08486	Jyoti Netam	Shri Mahesh Netam	2022
26	BVA/22/19227	Jaybati	Shri Nirmal Singh	2022
27	BVA/22/08487	Kamitla Mandavi	Shri SevakRam Mandavi	2022
28	BVA/22/08488	Karishma	Shri Pachkaud	2022
29	BVA/22/08489	Kiran Netam	Shri Mansha Ram	2022
30	BVA/22/08490	Lata hidko	Shri Baidh Raj	2022
31	BVA/22/08491	Laxmi Sahu	Shri Bhikham Ram Sahu	2022
32	BVA/22/08492	Lekhani Kujam	Shri Ghashiya Ram	2022
33	BA/22/18730	Lateshwari Mandavi	Shri JoharSingh Mandavi	2022
34	BA/22/15873	Lileshwari Patel	Shri Rohit patel	2022
35	BVA/22/08493	Maneshwari	Shri Lachchhu Ram	2022
36	BVA/22/08494	Manisha Yadav	Shri Chainu Ram	2022
37	BVA/22/08496	Manisha Sinha	Shri Rohit Sinha	2022
38	BA/22/15282	Mnisha Jurri	Shri Ratte Singh	2022
39		Manisha Bhuyara	Shri Dujan Bhuyara	2022
40	BVA/22/08497	Manju	Shri Sukchad Shori	2022
41	BA/22/32257	Mamta	shri Noharu Ram	2022
42	BVA/22/08498	Mansi Poya	Shri Manbhu Ram Poya	2022
43	BA/22/19272	Muniya Netam	Shri Somnath Netam	2022
44	BVA/22/08499	Nameshwari	Shri Kartik Ram	2022
45	BVA/22/08501	Nirmala	Shri Teekam Singh	2022
46	BVA/22/08502	Nisha Sahu	Shri Surendar Kumar	2022
47	BVA/22/08503	Nisha Uikey	Shri Mangal Ram Uikey	2022
48	BA/22/15353	Nisha Mandavi	Shri Raysingh Mandavi	2022
49	BVA/22/08506	Prabha Netam	Shri BisruRam Netam	2022
50	BVA/22/08507	priyanka Mishra	Shri Ramanad Mishra	2022
51	BVA/22/08508	Pushpa Nishad	Shri Narottam	2022
52	BVA/22/08509	Pushpa Bhaskar	Shri Naradram Bhaskar	2022
53	BA/22/15899	Prembatti	Shri Sube Lal	2022
54	22/2280497	Preeti Mandavi	Shri Uttam Kumar	2022
55	BVA/22/08511	Ramila Jain	Shri Dukhu Ram	2022
56	BVA/22/08512	Reetu Mandavi	Shri Vishnu Ram	2022
57	BVA/22/08513	Reshma Netam	Shri Gopal Ram Netam	2022
58	BVA/22/08514	Roshni	Shri Salik Ram	2022
59	BA/22/15905	Rameshwari Netam	Shri Raje Singh	2022
60	BVA/22/08515	Sakshi Pachbiys	Shri Ishwar Kumar	2022
61	BVA/22/08516	Sandhya Salam	Shri UdeRam Salam	2022
62	BVA/22/08517	Santaro	Shri Budh Ram	2022
63	BVA/22/08519	Saraswati	Shri Durga Ram	2022

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

64	BVA/22/08522	Satyawati	Shri Shyam Lal	2022
65	BVA/22/08523	Sheetal Thakur	Shri Ransay	2022
66	BVA/22/08524	Silvanish	Shri Badal Sai	2022
67	BVA/22/08526	Suman Netam	Shri Kamlu Ram	2022
68	BVA/22/08527	Sushma Netam	Shri prabhu Ram	2022
69	BVA/22/08528	Swati Netam	Shri Dullu Ram	2022
70	BVA/22/08529	Taruna	Shri Kartik Ram	2022
71	BA/22/18844	Tikeshwari Shori	Shri Dinu Ram	2022
72	BVA/22/08531	Vaishnavi Kaushal	Shri Santosh Kumar	2022
73	BVA/22/08532	Vibha	Shri Laxman	2022
74	BVA/22/08533	Vidya Hidko	Shri RajKumar Hidko	2022
75	BVA/22/08534	Vishakha	Shri Sohan Lal	2022
76	BVA/22/08535	Yogita	Shri Saradhu Ram	2022
77	BVA/22/08536	Yogita Yadav	Shri Sita Ram Yadav	2022
78	BA/22/15930	yamuna kemro	Shri Ramprasad	2022
79	BVA/22/08520	Sarika	Shri Dasharath	2022

B. A. I (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1		Anjali	Shri Shiv Prasad	
2		Anjali Jurri	Shri Mankumar	
3		Anjila	Shri Dayalu	
4		Bhavani Nishad	Shri Mangatu Ram	
5		Bhanupriya Meshram	Shri Rajendra Meshram	
6		Bindiya	Shri Munn Lal	
7		Bhuneshwari Mandavi	Shri Bola Ram	
8		Chhaya	Shri Komal Ram	
9		Chanchal Thakur	Shri Chandan Singh	
10		Damini Kunjam	Shri Shrawan Kumar	
11		Eishwary Netam	Shri Pilaram Netam	
12		Garima Usendi	Shri Bisahu ram	
13		Gomti	Shri Barsay	
14		Geetanjali Bhaskar	Shri Shambhu Ram	
15		Himani Yadav	Shri Dilip Yadav	
16		Himanshi Netam	Shri Dinesh	
17		Himeshwari	Shri Dhanaji Ram	
18		Indu Watti	Shri Siya Ram	
19		Indrani Kange	Shri Jethu Ram Kange	
20		Jharna Nagesh	Shri Ganesh Ram	
21		Jagriti Valmiki	Shri Roshan Valmiki	
22		Kavita Mandvi	Shri Yodhan \Lal	
23		Karishma Kawde	Shri Kumar Kawde	
24		Kaminee	Shri Sushil	
25		Khushi Sinha	Shri Ramratan Sinha	
26		Khileshwari Watti	Shri Mahesh Watti	
27		Laxmi	Shri Kangalu Ram	
28		Laxmi Mandavi	Shri Prem Lal Mandavi	
29		Magha Sahu	Shri Bharat Sahu	
30		Monika Baghel	Shri Jeevan Baghel	

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

31		Monika	Shri Jagdev	
32		Muskan Sharma	Shri Jitendra Sharma	
33		Nisha Markam	Shri Samman Markam	
34		Nisha Yadav	Shri Anil Yadav	
35		Nisha Mandavi	Shri Virendra Kumar	
36		Niteshwari Sahare	Shri Gannu Ram Sahare	
37		Payal Sharma	Shri Rajesh Shrma	
38		Pratibha	Shri Daya Ram	
39		Pratima Netam	Shri Iswar Lal Netam	
40		Pinki Darro	Shri Bhumichand Darro	
41		Priti Darro	Shri Dev Lal Darro	
42		Priya Patel	Shri Kishor Patel	
43		Purva Rajput	Shri Rakesh Rajput	
44		Radhika	Shri Dev Say	
45		Ragni Mandavi	Shri Nakul Mandavi	
46		Ranjita	Shri Dev Lal	
47		Ravina Kujam	Shri Ram Lal	
48		Ravina Mandavi	Shri Lilu Ram	
49		Ravina Kodopi	Shri Chamman Lal	
50		Rekha Usendi	Shri Bisheshar Usendi	
51		Rekha	Shri Ashok Kumar	
52		Reshami	Shri Ashok Kumar	
53		Reetu	Shri Itwaru	
54		Roshni Markam	Shri Harishchanda	
55		Rupa Markam	Shri Chamru Ram	
56		Santoshi Salam	Shri Ramu Ram	
57		Sangeeta Usendi	Shri Bisnath usendi	
58		Shalini Jurri	Shri Loknath Jurri	
59		Sansaro Salam	Shri Ramdayal Salam	
60		Saraswati Padda	Shri Kanhaiya Lal	
61		Swati	Shri Krishna	
62		Swati Yadav	Shri Narendra Yadav	
63		Shivani Vishvakarma	Shri Sharavan	
64		Suhani Baghel	Shri Laxman Baghel	
65		Tanuja	Shri Tulesh	
66		Taranika Teta	Shri Jagdish Teta	
67		Vinayika	Shri Sangram	
68		Yamini Jain	Shri Ghurau Ram	
69		Yamini Markam	Shir Lalsay Markam	
70		Yogeshwari Badhi	Shri Noman Singh	

B. Sc. III (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BVS/21/07192	Aanchal Tekam	Shri Dev Ram Tekam	2021
2	BS/21/15803	Anita	Shri Moti Ram	2021
3	BVS/21/07194	Anjali	Shri Neelam Singh	2021
4	BS/21/15806	Anju	Shri Madan Kumar	2021
5	BVS/21/07196	Ashana	Shri Ram Dayal	2021

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indiru Kunwat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

6	BVS/21/07193	Amita	Shri Kanhaiya	2021
7	BS/18/13368	Bhamini	Shri Ishu Ram	2018
8	BVS/19/02216	Bhavani Jain	Shri Sanat Kumar Jain	2019
9	BVS/21/07198	Chandni Baghel	Shri Umend Singh	2021
10	BVS/21/07200	Dhameshwari Darro	Shri Shivcharan Darro	2021
11	BS/18/14203	Dhanshri Badhai	Shri Mahattam Badhai	2018
12	BVS/21/07245	Dimpal Gawde	Shri Ramsay Gawde	2021
13	BVS/21/07202	Divya Chandel	Shri Chhote Lal	2021
14	BVS/21/07203	Divya Navik	Shri Ganeshwar Navik	2021
15	BVS/21/07204	Durga	Shri Aatma Ram	2021
16	BVS/21/07205	Eragani Sinha	Shri Sukhuram	2021
17	BVS/21/07206	Hembatti Kunjam	Shri Ankalu Ram	2021
18	BVS/21/07207	Homika Nagesh	Shri Amrit Lal	2021
19	BVS/21/07208	Jyoti Shori	Shri Dileep Kumar	2021
20	BVS/21/07209	Jyoti yadav	Shri Kripa Ram Yadav	2021
21	BVS/21/07211	Kaneshwari	Shir Aandhu Ram	2021
22	BVS/21/07212	Karina Kunjam	Shri Dinbandhu	2021
23	BVS/21/07213	Keshwari	Shri Fagen Ram	2021
24	BVS/21/07214	Khemlata	Shri Shivprasad	2021
25	BVS/21/07215	Khusbhoo Sahu	Shri Yugal Kishor	2021
26	BVS/21/07216	Kirti	Shri Manoj Kumar	2021
27	BS/21/15823	Kusum	Shri Vipat Ram yadav	2021
28	BS/21/15524	Kamini Mandavi	Shri Jagjivann Ram	2021
29	BVS/21/07217	Lalima Tandiya	Shri Dwarika prasad	2021
30	BVS/21/07218	Laxmi	Shri Ramnath	2021
31	BVS/21/07219	Madhuri Patel	Shri Pustak Patel	2021
32	BVS/21/07220	Madhuri Usendi	Shri Bisnath Usendi	2021
33	BVS/21/07221	Meenakshi Jain	Shri Chaman Lal	2021
34	BS/21/15829	Minakshi Mahavir	Shri Champa Lal	2021
35	BVS/21/07223	Niharika Thakur	Shri Dilip Singh	2021
36	BVS/21/07224	Nupur Das	Shri Jugant Das	2021
37	BS/21/15832	Neetu Jain	Shri Dev Ram	2021
38	BVS/21/07225	Poonam Thakur	Shri Than Singh Thakur	2021
39	BS/21/15836	Pratima	Shri Omkar	2021
40	BVS/21/07226	Priyanka Komra	Shri Rupsingh Komra	2021
41	BVS/21/07227	Purnima Netam	Shri Sanat Ram Netam	2021
42	BVS/21/07228	Pushplata	Shri Nandaku Ram	2021
43	BS/21/15841	Ratnawali	Shri Saroj Nag	2021
44	BVS/21/07230	Rekha	Shri Umeshchandra	2021
45	BS/21/15845	Ritu	Shri Sant	2021
46	BVS/21/07231	Ritu Samrath	Shri Sambhu Lal	2021
47	BS/21/15846	Romika Sinha	Shri Tuka Ram	2021
48	BVS/21/07232	Roshni	Shri Chhabi Lal	2021
49	BVS/21/07234	Savitri Kola	Shri Devlu ram Kola	2021
50	BVS/20/02668	Seema	Shri Bansoo Ram	2020
51	BVS/21/07235	Shivrani Shori	Shri Mahesh Ram	2021
52	BVS/21/07236	Simran Watti	Shri Tilak Ram Watti	2021
53	BVS/21/07237	Sunita	Shri Keertan Prasad	2021
54	BVS/21/07238	Sweta	Shri Vimal	2021
55	BS/21/16753	Sakshi	Shri Ramesh Kumar	2021

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

56	BS/21/15861	Suman	Shri Kamal Singh	2021
57	BVS/21/07239	Tanya Singh	Shri G.N. Singh	2021
58	BVS/21/07242	Vaishali Kesharwani	Shri Gopal Kesharwani	2021
59	BS/21/15870	Yogeshwari	Shri Sarwan	2021
60	BVS/21/07244	Yoshita Jurry	Shri Deepak Kumar	2021

B. Sc. II (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BVS/22/04001	Aabha Shori	Shri Kanesh Shori	2022
2	BVS/22/04002	Anamika Markam	Shri S.L. Markam	2022
3	BVS/22/04003	Ankita Pal	Dadu Pal	2022
4	BVS/22/04004	Aradhana nishad	Shri Sanjay nishad	2022
5	BS/22/26507	Anjali	Shri Devsingh	2022
6	BVS/22/04005	Bhumika Churendra	Shri Deenu Ram	2022
7	BS/22/27578	Bhuneshwari	Shri Jani Ram	2022
8	BVS/22/04006	Chhaya Korram	Shri Vimal Korram	2022
9	BVS/22/04007	ChulikaSalam	Shri Ramkisun Salam	2022
10	BVS/22/04008	Damini	Shri Maksudan	2022
11	BVS/22/04011	Divya Kawde	Shri Pramod Kawde	2022
12	BS/22/27103	Durga Korrm	Shri Krishna Korram	2022
13	BS/22/27103	Diksha Shori	Shri Tulsi Ram	2022
14	BVS/22/04014	Garima Netam	Shri Bhagwat Netam	2022
15	BVS/22/04015	Geetanjali Netam	Shri Rameshwar	2022
16	BVS/22/04017	Hema Korram	Shri Mohan Korram	2022
17	BVS/22/04018	Himanshi Rajak	Shri Sunit Ram Rajak	2022
18	BVS/22/04019	Indu Nishad	Shri Deeneshwar Lal	2022
19	BVS/22/04020	Jamuna Hidko	Shri Devraj Hidko	2022
20	BVS/22/04021	Janki	Shri Dhani Ram	2022
21	BVS/22/04022	Jiteshvari	Shri Jan Singh	2022
22	BVS/22/04023	Kanksha Jain	Shri Chandrasekhar	2022
23	BVS/22/04024	Kavita Gawde	Shri Pitambar Gawde	2022
24	BVS/22/04025	Khushi Nag	Shri Anil Nag	2022
25	BVS/22/04026	Kranti	Shri Ashwan Kumar	2022
26	BS/22/27113	Kaneshwari	Shri Purushottam	2022
27	BVS/22/04027	Laxmi Nishad	Shri Bihari Nishad	2022
28	BS/22/26756	Laxmi	Shri Vijay Lal	2022
29	BVS/22/04028	Mamta Usendi	Shri Santu Ram	2022
30	BVS/22/04029	Manki	Shri Amarsingh	2022
31	BVS/22/04030	Monika	Shri Kali Ram	2022
32	BVS/22/04031	Monika Kunjam	Shri Jagdev Ram	2022
33	BVS/22/04032	Nageshwari	Shri Dharmsing	2022
34	BVS/22/04033	Neelam	Shri Laxman	2022
35	BVS/22/04034	Neelam Poya	Shri DhananJay Poya	2022
36	BVS/22/04036	Neeta	Shri Mani Ram	2022
37	BVS/22/04037	Neha Koreti	Shri Santa Ram	2022
38	BVS/22/04039	Parmeshwari	Shri Johan Ram	2022
39	BVS/22/04040	Parmeshwari Usendi	Shri MankuRam	2022
40	BVS/22/04041	Pooja Dewangan	Shri Yashvant	2022

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

41	BVS/22/04042	Pooja Uike	Shri Ganesh Ram Uike	2022
42	BVS/22/04043	Poonam sahu	shri Prakash Sahu	2022
43	BS/22/27138	Rajeshwari Darro	Shri Johan Ram	2022
44	BVS/22/04044	Reena Kawde	Shri ManaRam Kawde	2022
45	BS/22/27170	Raginiee sahu	Shri Pawan Kumar sahu	2022
46	BS/22/27141	Reekeshwari	Shri Jage Ram	2022
47	BVS/22/04045	Sakshi Jagtap	Shri Vijay Rao Jagtap	2022
48	BVS/22/04046	Saloni Samrath	Shri Moti Ram	2022
49	BVS/22/04047	Savitri Sinha	Shri Dhannu Ram Sinha	2022
50	BVS/22/04048	Shweta Gota	Shri Khorbahra Gota	2022
51	BVS/22/04049	Susheela Mandavi	Shri Bali Ram Mandavi	2022
52	BS/22/27147	Sandhya Marapi	Shri Lukhu Ram	2022
53	BS/22/27146	Samina Jurri	Shri Chaitu Ram Jurri	2022
54	BS/22/27726	Shalini Yadav	Shri Kushal Yadav	2022
55	BVS/22/04050	Tanya	Shri Parmanand Rangari	2022
56	BVS/20/02655	Tripti Markam	Shri Shivnath Markam	2020
57	BVS/22/04051	Vallavi Dhruw	Shri Chhatrapal Dhruw	2022
58	BVS/22/04052	Vandani Deepak	Shri Purushottam	2022
59	BS/22/27164	Vandana	Shri Punesh Kumar	2022
60	BVS/22/04053	Yaminee Sahu	Shri Shashwat Sahu	2022
61	BVS/22/04054	Yamuna	Shri Kanhaiya	2022

B. Sc. I (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1		Aarti Patel	Shri Ram Patel	
2		Aaditi	Shri Pradhuman	
3		Ankita Gavde	Shri Hem Lal	
4		Alima Netam	shri Madan Singh	
5		Ashwarya	Shri Narad Singh	
6		Anusuiya	Shri Chherku Ram	
7		Bhavika	Shri Puran Pradhan	
8		Bhuneshwari	Shri Dhana Ram	
9		Chumeshwari	Shri Sant Kumar	
10		Daminee Taram	Shri Harishanker	
11		Dharni	Shri Rohit	
12		Diksha	Shri Sagram	
13		Fuleshwari	Shri Kanhaiya Lal	
14		Gayatri	Shri Malik Ram	
15		Gitanjali	Shri Pardeshi Ram	
16		Heena	Shri Hem Lal	
17		Hina Bhuarya	Shri Anup Kumar	
18		Ikeshwari	Shri Bidesh Kumar	
19		Isharani	Shri Rajendra	
20		Jagriti Pradhan	Shri Narsingh	
21		Jharna	Shri Loknath	
22		Jyoti sarwa	Shri Punamchand	
23		Jyoti	Shri Sukau Ram	
24		Kajal Sahu	Shri ChandraShekhar	
25		Karishma	Shri Komal Ram	

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indiru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

26		Khushbu Patel	Shri Gajanand Patel	
27		Khileshwaree	Shri Manrkhan	
28		Kritika Hidko	Shri Baishkhu Ram	
29		Lata Kuldeep	Shri Arjun Ram	
30		Lubhana Yadav	Shri Lukeshwar	
31		Lileshwari	Shri Rohit Nishad	
32		Mamta	Shri Rohit	
33		Mamta	Shri Rati Ram	
34		Madhu Kuldip	Shri Lakhi Ram	
35		Madhulika	Shri Ganesh Ram	
36		Mansaro Salam	Shri Budh Ram	
37		Nikita Kodopi	Shri Abhi Ram	
38		Neelam	Shri Vishnu Ram	
39		NehaPatel	Shri Santu Ram	
40		Nisha Netam	Shri Sarju Ram	
41		Pallavi Kaur	Shri Brij Lal	
42		Phuleshwari	Shri Dhanshu Ram	
43		Ravina	Shri Kamal Singh	
44		Rashmi	Shri Haresh	
45		Rashmi yadav	Shri Ashok	
46		Rukhmani	Shri Aghan Singh	
47		Santila Dugga	Shri Barsu Ram	
48		Sunita Hidko	Shri Mannu Ram	
49		Shivbati	Shri Ramprasad	
50		Shailendri Nureti	Shri Deojhar	
51		Tapti Netam	Shri Chat Ram	
52		Tikeshwari	Shri Bahal Singh	
53		Taruna Watti	Shri Tilak Ram Watti	
54		Tripti	Shri Pardesh	
55		Vandana	Shri Amarchand	
56		Varsha pradhan	Shri Madan Lal	
57		Vinita Chauhan	Shri Suresh Singh	
58		Yankita Yadav	Shri Kamlesh Yadav	

M. A. SOCIOLOGY III SEM (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BA/18/4799	Anju Salam	Shri Santa ram	2018
2	BA/19/04421	Anita Sinha	Shri Kishor	2019
3	BVA/19/01424	Archana	Shri Sonsay Sevta	2019
4	BA/18/5922	Kamleshwari	Shri Narsingh Usendi	2018
5	BA/19/05576	Namita	Shri Manrakhan	2019
6	BA/19/03765	Reshma Gota	Shri Ramadheen Gota	2019
7	BA/18/7415	Roshni	Shri Shakar Lal	2018
8	BA/19/06091	Simran	Shri Satyanarayan	2019
9	BVA/18/02391	Shabina Kausar	Shri Mohammad Idris	2018
10	BVA/19/01672	Suman Komare	Shri Raj Kumar	2019
11	BA/19/03788	Seema Hichami	Shri Narad Ram	2019
12	BVA/15/03863	Sangeeta Netam	Shri Shri Ram Netam	2015
13	BVA/19/01838	Tulsi	Shri Iswar Thakur	2019

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.) Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

M. A. SOCIOLOGY I SEM (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BVA/20/23566	Anisha	Shri Chandrabhuvan	2020
2	BA/20/29462	Anuradha Netam	Shri Sanjay Kumar	2020
3	BVA/20/23567	Aishwari	Shri Anush	2020
4	BA/20/29330	Chanchal	Shri Chetan Dewangan	2020
5	BVA/20/23536	Digeshwari	Shri GauRam	2020
6	BVA/20/23591	Kajol	Shri Chhunnu Ram	2020
7	BVA/20/23178	Ombika Ramteke	Shri Nitesh Ramteke	2020
8	BA/20/34729	Mahendri	Shri Pram Kumar	2020
9	BA/20/29401	Puja Mandavi	Shri Girdhar	2020
10	BA/20/29512	Priyanka	Shri Pati Ram	2020
11	BVA/20/23124	Pushpa	Shri Atma Ram	2020
12	BVA/20/23161	Renuka	Shri Sanwat Ram	2020
13	BA/17/05534	Roshni	Shri Udey Ram	2017
14	BVA/20/23123	Shashi Bala	Shri Kailash	2020
15	BA/20/34681	Sangeeta Markam	Shri Mathlu Ram	2020
16	BVA/20/23173	Twinkal Yadav	Shri Dasaru Ram	2020
17	BA/18/6094	Tikeshwari	Shri Birendra Kumar	2018
18	BVA/20/23554	Yogeshwari Sori	Shri Prit Ram	2020

M. A.ENGLISH III SEM (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BVA/18/02315	Deepa Chandel	Shri Kartik Ram	2018
2	B/121207	Dewkee Nag	Shri Moti Lal	
3	BS/18/13829	Himanshi	Shri Anand Ram	2018
4	BA/19/05530	Karuna Kodopi	Shri Pawan Kumar	2019
5	BA/18/8771	Kamini Nishad	Shri Hiraman	2018
6	BVA/19/00124	Kamitla Shori	Shri Surit Ram Shori	2019
7	BVA/19/02813	Neha	Shri Surendra Kumar	2019
8	BVS/17/02361	Nindiya	Shri Prit Ram	2017
9	BS/18/13621	Priyanka Sahu	Shri Shiv Kumar Sahu	2018
10	BA/18/5388	Preeti	Shri Banshi Lal	2018
11	BS/18/13663	Renuka Kowachi	Shri Nakchheda Ram	2018
12	BS/18/13857	Sarita Netam	Shri Bhagirati Netam	2018
13	BVA/18/03595	Surekha Hidko	Shri Mangal Say	2018
14	BVA/19/00236	Surekha kunjam	Shri Guha Ram Kunjam	2019
15	BVA/19/02327	Yamuna	Shri Chandu Lal	2019

M. A. ENGLISH I SEM (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BVS/19/02215	Bhavna Sahu	Shri Salik Ram	2019
2	BS/20/07811	Dimpal	Shri Krishna	2020
3	BA/20/29474	Dharawatee	Shri Gowardhan	2020

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker
494334

May 15, 2021, 13:28

4	BS/18/13449	Geeta	Shri Ramsuman	2018
5	BVA/20/23193	Geetika Sahu	Shri Guman Singh	2019
6	BS/19/10259	Kusum	Shri Chinta Ram	2020
7	BVS/19/03197	Preeti Watti	Shri Radheshyam	2019
8	BS/20/07105	Priyaka Saha	Shri Kartik Saha	2020
9	BA/20/29527	Rina Purame	Shri Suman Ram	2020
10	BVA/18/01721	Sunita	Shri Sampat Ram	2018
11	BA/18/4604	Sagan Bati	Shri Sudh Ram	2018
12	HU/331/18007440	Sakshi Sinha	Shri Visheshwar	2018
13	BVC/20/11562	Shreya Bharti	Shri Rajkumar Bharti	2020
14	BA/20/30337	Sushmita Sinha	Shri Bishshver Sinha	2020
15	BVS/19/02095	Sakshee	Shri Komal	2019
16	BS/20/07473	Tijeshwari Dhanker	Shri Santosh	2020
17	BS/19/11411	Versha	Shri Hajaree Sinha	2019
18	BVS/19/02134	Vanshika Chauhan	Shri Rajendra Singh	2019
19	BVS/20/02468	Yamini	Shri Rudrapratap	2020
20	BVS/19/02375	Yogita	Shri Shamnhu Lal	2019

M. A. HINDI III SEM (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BVA/19/01764	Champa Ghrat	Shri Tilak Ram	2019
2	BA/18/5901	Hricha Yadav	Shri Kishan Yadav	2018
3	BVA/18/02344	Manisha Chandel	Shri Pramod Kumar	2018
4	BA/19/04217	Pooja	Shri Kanhaiya	2019
5	BA/19/07017	Rajani Karma	shri Sonu Ram	2019
6	BVA/17/02371	Ravina	Shri Sukhu Ram	2017
7	BS/17/12290	Riteshwari Patel	Shri Shravan Kumar	2017
8	BA/185532	Rukhmani	Shri Sunder Singh	2018
9	BVA/19/01824	Sanbati Nureti	Shri Lakhu Ram	2019
10	BA/18/8097	Shashi Kala	Shri Katiya Ram	2018
11	BVA/18/02369	Shivani Nagwanshi	Shri Moti Ram	2018
12	BVA/18/02367	Sohantin Bhasker	Shri Birju Ram	2018

M. A. HINDI I SEM (2022-23)

S. No.	Enrollment Number	Student's Name	Father's Name	year of Enrolment
1	BA/18/5849	Aasha Jain	Shri Sonau Ram	2018
2	BVA/19/01436	Bharti Rajak	Shri Budh Ram	2019
3	BVA/20/23185	Chandrakala	Shri Son Singh	2020
4	BA/19/03681	Damini	Shri Chandrabhan	2019
5	BA/20/34624	Jaya Salam	Shri Lakhan Singh	2020
6	BA/20/29359	Janita	Shri Nohar Singh	2020
7	BVA/20/2359	Kanchan Netam	Shri Bihari Netam	2020
8	BA/20/31280	Lipika Baghel	Shri Mithlesh	2020
9	BVA/20/23160	Mahamaya	Shri Sahdev	2020
10	BVA/20/23150	Neeta	Shri Jaisingh	2020
11	BVA/20/23184	Rakhi Netam	Shri Sukman Netam	2020
12	BA/20/34733	Rajeshwari	Shri Padsing	2020

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker 494334

May 15, 2021, 13:28

13	BVA/20/23284	Sandhya Sinha	Shri Puran Singh	2020
14	BVA/20/23145	Vandana Kuldeep	Shri Munna Ram	2020
15	BA/20/34700	Varsha Druw	Shri Ganesh Druw	2020

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Govt. Indaru Kenwat Girls College, Kanker (C.G.)
Distt.- U.B.Kanker 494334

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

धरमपुरा, जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग.) 494001

वेबसाईट www.bvvjdp.ac.in दूरभाष 07782-229037 फैक्स 229297

क्रमांक / 511 / अका. / ब.वि.वि. / 2020 जगदलपुर, दिनांक 08 / 08 / 2020

प्रति,

1. प्राचार्य,
   संबंद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय,
   बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
2. समस्त विभाग प्रमुख / विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
   बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

विषयः— **शैक्षणिक सत्र 2020—21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के संबंध में।**

संदर्भः— कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक / 572 / 149 / आउशि / सम / 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.08.2020

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020—21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत पत्र में किये गये लेख अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं एवं संबद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों (छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उच्च शिक्षा संचालनालय से विधिवत् स्वीकृति / अनुमति प्राप्त) में सत्र 2020—21 में ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के संबंध में बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले अधिसूचना / आदेशों / निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

सत्र 2020—21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का अवलोकन बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की वेबसाईट **www.bvvjdp.ac.in** पर भी किया जा सकता है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

8/08/2020

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 512 / अका. / ब.वि.वि. / 2020 जगदलपुर, दिनांक 08 / 08 / 2020

प्रतिलिपिः—

1. माननीय कुलपति महोदय, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक—सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, को संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

08.8.2020

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

May 15, 2021, 13:28

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
--00--

क्रमांक 572/149/आउशि/सम/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/8/20

प्रति,

1. **कुलसचिव**
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़
2. **प्राचार्य,**
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़

विषय :— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2020—21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :— अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17—95/2017/38—2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.06.2020।

----00----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020—21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020—21 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020—21 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न —उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.एच.एस.कर)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 573/149/आउशि/ सम/2020 **नवां रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/8/20**

प्रतिलिपि :—

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

all

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

May 15, 2021, 13:28

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर

-------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29-06-2020

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका ज्ञापन कमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 26.05.2020

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.प्र.(डी)

2/7/20

2/7/20

May 15, 2021, 13:28

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

May 15, 2021, 13:28

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020–21

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी।कंडिका 5.1 (क)

May 15, 2021, 13:28

में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/ *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

May 15, 2021, 13:28

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में *15 सितम्बर* के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। ***व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।***

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विंषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.– प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। ***एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।***

(ख) स्नातकोत्तर *प्रथम वर्ष उत्तीर्ण* आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

May 15, 2021, 13:28

विधि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, **अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी।** तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्ब विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualificat Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक

के पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिए अन्य सामान्य विषयो की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 *विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष* में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/ वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र मे छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

May 15, 2021, 13:28

किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा <u>27 वर्ष</u> मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 ***स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।***

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 परसेंटेज प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें।

May 15, 2021, 13:28

4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा. 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत

May 15, 2021, 13:28

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :—

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

May 15, 2021, 13:28

रत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

Sd/- [signature]

May 15, 2021, 13:28

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष :-**

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

PRINCIPAL
Govt. Girl's College Kanker
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)